प्रेस नोट दिनांक-06.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चेकिंग अभियान में दिनाँक 05.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मानिकपुर में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुबाष चौरसिया द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डागर्दी करने पर अभियुक्त 1.सुलेख पुत्र सत्यनारायण निवासी सुहेल थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2.चीफुर उर्फ अरुण मिश्रा पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यावही की गयी।